न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 176 / 2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 329**

दायर दिनांक :– 07.07.2025   **निर्णय दिनांक :– 10.02.2026**

1. चैनाराम पुत्र अलसीराम जाति माली निवासी सदावता तहसील व जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र करनाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. जगदीश पुत्र सुरताराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. ओमप्रकाश पुत्र साजनराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. मोहनराम पुत्र साजनराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. रतनाराम पुत्र हरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुखराम पुत्र साजनराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. सदाराम पुत्र साजनराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. करना पुत्र चौथा जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. उदा पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. गुमानाराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. भागीरथ पुत्र बवलताराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
12. रतना पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. राजेश कुमार पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. लादूराम पुत्र बलवताराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. श्याम सुन्दर पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. सालगराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. इमरती पत्नी भागीरथ जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. कबूदेवी पत्नी चुनाराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
19. दलुराम पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. बालीदेवी पत्नी भरमलराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
21. भरमल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
22. मांगीदेवी पत्नी लालूराम जाति विश्नोई निवासी झडासरत तहसील बाप जिला फलोदी
23. रामकिशन पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी मंडला कलां तहसील लोहावट जिला फलोदी
24. सुखराम सांवताराम जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी
25. सोहनीदेवी पत्नी शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी झडासर तहसील बाप जिला फलोदी

Satya...

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

26. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 909/784 रकबा 8.2151 हैक्टेयर ग्राम झडासर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप की सरहद में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार बाप के आदेश की पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 07.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थित में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ता 25 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि की दिनांक 07.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 25 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 27 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उपस्थित होकर कथन किया कि मौका कमिश्नर नियुक्त कर बाद सुनवाई नेखमबदी के आदेश जारी किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा झडासर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

जिला फलोदी के खसरा नम्बर 909/784 रकबा 82151 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 07.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा झडासर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 909/784 रकबा 82151 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 07.06.2025 के अनुसार किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा झडासर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 909/784 रकबा 82151 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पैमाईश फर्द दिनांक 07.06.2025 के अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थी द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)